न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2015 शस्त्र अधिनियिम 1959

अनवानी :– पालसिंह पुत्र बलदेवसिंह जटसिख निवासी चक 11 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर पुलिस थान अनूपगढ ।

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री महेन्द्र बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.11.18

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम,1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.7.2015, जिसके द्वारा अपीलांट के स्वर्गीय पिता बलदेवसिह पुत्र बख्तावरसिंह जटसिख निवासी 11 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1978 एसडीएम करणपुर आउट साइड नं. 275/2012 एडीएम सूरतगढ की एवज में अपीलान्ट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं मानते हुए, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक के स्वर्गीय पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्रसं0 11/1978 एसडीएम करणपुर आउट साइड नं. 275/2012 एडीएम सूरतगढ खारिज किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालाय में प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट पालसिंह ने मृतक प्रकरण के अन्तर्गत अपने स्वर्गीय पिता बलदेवसिह पुत्र बख्तावरसिंह जटसिख निवासी 11 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1978 एसडीएम करणपुर आउट साइड नं. 275/2012 एडीएम सूरतगढ की एवज में नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 10.3.2014 निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया गया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट क्रमांक 957 दिनांक 8–5–14 पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से पत्रांक 414 दिनांक 4.4.14 अति. पुलिस अधीक्षक (वि.शा) श्रीगंगानगर से पत्रांक 616 दिनांक 28.5.14 एवम् तहसीलदार अनूपगढ से पत्रांक 208 दिनांक 27.3.15 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी । पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 8.5.14 के बिन्दु सं05 में आवेदक को लाइसेंस दिया जाना ''अनुचित'' बताया गया । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट एवं भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक V-11016/16/2009 आर्म्स दिनांक 31.3.2010 के अनुसार शर्ते पूर्ण नहीं करने के कारण अपीलान्ट का मृतक प्रकरण में उत्तराधिकार के अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 28.7.15 द्वारा खारिज करते हुए आवेदक के स्व. पिता बलदेवसिंह पुत्र बख्तावरसिंह का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1978 एसडीएम करणपुर आउट साइड नं. 275/2012 एडीएम सूरतगढ खारिज कर दिया । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 28.7.15 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री महेन्द्र बिश्नोई एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने स्व. पिता बलदेवसिंह पुत्र बख्तावरसिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र 12डीबीएल गन नं0 69938 को प्राप्त करने हेतु सभी जायज वारिसान की सहमति बाबत शपथ पत्र एवम् दस्तावेज पेश करते हुए अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानागर के समक्ष दिनांक 10.3.14 को आवेदन किया गया, जिस पर राज्य विशेष शाखा, राजस्थान जयपुर के पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सुरक्षा की रिपोर्ट दिनांक 4.4.14 में आवेदक का संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होना नहीं पाया गया है । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि.शा. जोन गंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.5.14 में अपीलान्ट का किसी प्रकार की अराष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त होना नहीं पाया गया है तथा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.3.15 में अपीलान्ट को लाइसेंस दिये जाने की अनुशंषा की गयी है । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8–5–2014 में आवेदक को लाइसेंस दिया जाना अनुचित बताया है । शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित है या अनुचित इस तथ्य को तय करने की शक्ति भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मजिस्ट्रेट को है, न कि पुलिस अधीक्षक को । अपीलान्ट को अपने परिवार के जान माल सुरक्षा व आत्मरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 8–5–14 में मृतक प्रकरण में अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है । इसके अलावा अपीलान्ट के आवेदन पत्र की पुश्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना अनूपगढ द्वारा की गयी रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द मुकदमा सं0 357/08 दर्ज होकर दिनांक 8.6.09 को जरिये राजीनामा बरी हुआ है । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31–3–10 के प्रावधानों के तहत शर्ते पूर्ण नहीं होने एवं पुलिस रिपोर्ट दिनांक 8.5.14 के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि वस्तुतः यह प्रकरण मृतक पिता के हथियार को अपने नाम से दर्ज कराने का उत्तराधिकार से सम्बन्धित है, जिसमें अपीलान्ट के पिता बलदेवसिह के नाम दर्ज शस्त्र 12बोर डीबीबीएल गन नं0 69938 को अपने नाम से दर्ज कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष निर्धारित प्रारुप में दिनांक 10.3.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) रिपोर्ट दिनांक 4.4.14, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि.शा) जोन श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 28.5.14 व तहसीलदार अनूपगढ से जांच रिपोर्ट दिनांक 27.3.15 प्राप्त की गयी ।जिसमें अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं दर्शाई गयी । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.5.14 के बिन्दु सं0 5 में आवेदक को लाइसेंस दिया जाना अनुचित बताया है । अपीलान्ट द्वारा भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31–3–10 के प्रावधानों के तहत एवं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–15 पारित कर अपीलान्ट द्वारा उत्तराधिकार के अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.14 निरस्त करते हुए आवेदक के मृतक पिता बलदेवसिंह के नाम से दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1978 एसडीएम करणपुर आउट साइड नं. 275/2012 एडीएम सूरतगढ खारिज किया गया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिए निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दिनांक 10.3.14 के भाग सं0 ''सी'' में क्रम सं0 12 पर '' आत्मरक्षा ''के लिए शस्त्र की आवश्यकता का अंकन किया गया है तथा क्रमसं0 17 पर मृतक प्रकरण के अन्तर्गत अपने मृतक पिता के लाइसेंस के आधार पर लाइसेंस बनवाना चाहता है, का अंकन किया गया है । प्रकरण में अपीलान्ट के विरुध्द मुकदमा सं0 357/08 दर्ज होकर दिनांक 8.6.09 को जरिये राजीनामा बरी हुआ है, उक्त मुकदमे का उल्लेख अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में नहीं किया गया एवं तथ्य छुपाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.5.14 एवम् भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31–3–10 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं करने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.15 पारित किया गया है, जो हमारी विनम्र राय में उचित आदेश है । हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्ट निरस्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.15 यथावत रखा जाता है ।

8. तद् अनुसार अपील निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 20.11.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर